14-03-2024

भारत के राष्ट्रपति की मॉरीशस यात्रा

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु तीन दिनों (11 -13 मार्च) की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर मॉरीशस पहुँचीं।
- इस अवसर पर मॉरीशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया।

- यात्रा के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने महात्मा गांधी संस्थान (एमजीआई), मोका, मॉरीशस का दौरा किया। यह संस्थान मॉरीशस में भारतीय कला, संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने एवं प्रचारित करने वाली एक अग्रणी संस्था है।
- अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मॉरीशस के राष्ट्रपति श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जुगनॉथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। दोनों नेताओं ने अद्वितीय और बहुआयामी भारत-मॉरीशस संबंधों को और सुदृढ़ करने पर चर्चा की।
- राष्ट्रपति ने मॉरीशस के लिए एक नए विशेष प्रावधान की भी घोषणा की जिसके अंतर्गत भारतीय मूल की 7वीं पीढ़ी के मॉरीशसवासी अब भारत की विदेशी नागरिकता (OCI) के लिए पात्र होंगे, जिससे कई युवा मॉरीशसवासी अपने पूर्वजों की भूमि के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम होंगे।

भारत - मॉरीशस संबंध

- भारत-मॉरीशस संबंध भारत गणराज्य और मॉरीशस गणराज्य के बीच ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को संदर्भित करते हैं। इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे।
- 12 मार्च, 1968 को मॉरीशस को स्वतंत्रता मिलने के बाद, पहले प्रधान मंत्री और मॉरीशस राष्ट्र के पिता सर शिवसागर रामगुलाम ने मॉरीशस की विदेश नीति में भारत को केंद्रीयता प्रदान की।
- भारत 2007 से मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातक में से एक है | भारत से मॉरीशस के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है। मॉरीशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी प्रवाह का सबसे बड़ा स्रोत भी रहा है।
- भारत ने 2011 में तटीय निगरानी रडार प्रणाली (CSRS) की स्थापना करके मॉरीशस की तटीय निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में उसकी काफी मदद की है।
- 2021 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान 'व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता' (CECPA) नामक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके III के निर्यात के लिए मॉरीशस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

- भारत और मॉरीशस ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों पक्षों ने चागोस द्वीपसमूह विवाद पर भी चर्चा की, जो संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के समक्ष संप्रभुता और सतत विकास का मुद्दा था। वर्ष 2019 में, भारत ने इस मुद्दे पर मॉरीशस की स्थिति के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया। भारत उन 116 देशों में से एक था, जिन्होंने ब्रिटेन से द्वीपों के समूह से अपना "औपनिवेशिक प्रशासन" समाप्त करने की मांग करते हुए मतदान किया था।
- प्रत्येक वर्ष 400 मॉरीशसवासियों को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में प्रशिक्षित किया जाता है और मॉरीशस के लगभग 60 छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है।
- एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 56 वर्षों की अवधि में, मॉरीशस अग्रणी लोकतंत्रों में से एक, बहुलवाद का प्रतीक, एक समृद्ध देश, एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, एक संपन्न पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर आया है।
- भारत, मॉरीशस को एक समुद्री क्षेत्र पड़ोसी देश, हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रिय भागीदार और अपने अफ्रीका आउटरिच में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में देखता है।

अभ्यास 'भारत शक्ति'

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और त्वरित कार्रवाई अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के एक समन्वित प्रदर्शन का अवलोकन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- 'भारत शक्ति' में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की आत्मानिर्भरत पहल पर आधारित है।
- अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख उपकरण और हथियार प्रणालियों में टी-90 (आईएम) टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक म्यूल, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) और मानव रहित विमानों की एक श्रृंखला शामिल है।

- भारतीय सेना ने उन्नत जमीनी युद्ध और हवाई निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारतीय नौसेना ने समुद्री ताकत और तकनीकी परिष्कार को उजागर करते हुए नौसेना एंटी-शिप मिसाइलों, स्वायत्त कार्गो ले जाने वाले विमानों और हवाई लक्ष्यों का प्रदर्शन किया।
- भारतीय वायु सेना ने हवाई संचालन में वायु श्रेष्ठता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर तैनात किए।
- घरेलू समाधानों के साथ समकालीन और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और उन पर काबू पाने के लिए भारत की तत्परता के स्पष्ट संकेत में, भारत शक्ति वैश्विक मंच पर भारत की घरेलू रक्षा क्षमताओं के लचीलेपन, नवाचार और ताकत पर प्रकाश डालती है।
- यह कार्यक्रम भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और परिचालन कौशल और स्वदेशी रक्षा उद्योग की सरलता तथा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करके, रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की मजबूत प्रगति का उदाहरण देता है।

कोचरब आश्रम का उद्घाटन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारम्भ भी किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 12 मार्च 1930 को ही गाँधीजी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी|
- यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे आज भी गुजरात विद्यापीठ ने एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित रखा है।
- इस दिशा में गांधी आश्रम स्मारक परियोजना वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं और दर्शन को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी।
- इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के मौजूदा पांच एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। 36 मौजूदा इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें गांधीजी के निवास स्थान 'हृदय कुंज' सहित 20 इमारतों का संरक्षण किया जाएगा, 13 का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा।
- इस मास्टरप्लान में गृह प्रशासन सुविधाओं के लिए नई इमारतें, ओरिएंटेशन सेंटर जैसी आगंतुक सुविधाएं, चरखा कताई, हस्तनिर्मित कागज, कपास बुनाई और चमड़े के काम तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं पर संवादात्मक कार्यशालाएं शामिल हैं।
- इन इमारतों में गांधीजी के जीवन के पहलुओं के साथ-साथ आश्रम की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संवादात्मक प्रदर्शनियां और गतिविधियां होंगी और गांधीजी के विचारों को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए एक पुस्तकालय और अभिलेखागार भवन का निर्माण भी किया जाना है।
- यह स्मारक भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा, गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देगा और ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों की सूचित प्रक्रिया के माध्यम से गांधीवादी मूल्यों के सार को जीवंत करेगा।

भारतीय लोकपाल के 3 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 12 मार्च 2024 को भारत के लोकपाल के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर ने नई दिल्ली स्थित भारत के लोकपाल परिसर में आयोजित एक समारोह में लोकपाल के 3 सदस्यों को पद की शपथ दिलाई|
- इनमें से 2 न्यायिक सदस्य (श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी एवं श्री न्यायमूर्ति संजय यादव) और एक लोकपाल के सदस्य के रूप में श्री सुशील चन्द्र को शामिल किया गया है|

गौरतलब है कि तीन नए सदस्यों को शामिल करने के साथ, भारत के लोकपाल में अब अध्यक्ष सहित कुल

नौ सदस्य हो गए हैं, जो इसकी पूर्ण संख्या तक पहुंच गई हैं।

लोकपाल के बारे में

- 17 दिसंबर, 2013 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 संसद द्वारा पारित किया गया था जिसे 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया और यह 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ।
- लोकपाल का प्रमुख कार्य,अधिनियम के दायरे और अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना।
- लोकपाल नौ सदस्यों की एक समिति होती है, जिसमें एक अध्यक्ष और चार न्यायिक सदस्य और अन्य क्षेत्रों के सदस्य शामिल होते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
- लोकपाल के पास सरकार के भीतर कुछ प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों जैसे प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों, संसद सदस्यों और समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की शक्ति है।
- इसके अतिरिक्त, अधिकार क्षेत्र का दायरा इसका विस्तार संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र या राज्य सरकार से आंशिक या पूर्ण वित्त प्राप्त करने वाले किसी भी बोर्ड, निगम, सोसायटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्षों, अधिकारियों, सदस्यों और निदेशकों को शामिल करने के लिए किया जाता है।
- न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं, जबकि पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मई 2022 में सेवानिवृत्त हुए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (National Commission for Protection of Child Rights – NCPCR) द्वारा अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया गया।

- गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग ने 5 मार्च 2007 से अपना कार्य आरंभ किया।

NCPCR के बारे में

- NCPCR, बाल अधिकारों (0-18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों) के संरक्षण से संबंधित एक वैधानिक निकाय है | इसके तहत, 'बालक' अथवा 'बच्चे' (Child) को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।
- इस आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिनमें से कम से कम दो महिलाएँ होना आवश्यक है। सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तथा इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।
- आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष तथा सदस्यों की अधिकतम आयु 60 वर्ष होती है।
- यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) के तहत एक बच्चे के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित

शिकायतों की जाँच करता है। साथ ही यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012] के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।
- इस आयोग का अधिदेश (mandate) यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों।
- वर्तमान में इस आयोग का अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो है|

70th BPSC TARGET 2024
ESSAY PROGRAM
हिंदी माध्यम | ENGLISH MEDIUM MODE: Offline & Online
STARTING FROM 15th & 22nd MARCH 2024
ADMISSION OPEN upto 50% OFF*
Course Features:
Focus on Philosophical topics PYQ based discussion 15 Tests
EXCLUSIVE BATCH FOR
70th BPSC MAINS
हिंदी माध्यम | ENGLISH MEDIUM MODE: Offline & Online
ADMISSION OPEN
15 New Batch Starting from MARCH 2024
upto 50% OFF
*